

I/479595/2024

संख्या-121/81-2-2024-800(283)/2023

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

Ad 5-0CC-INODAL
29/01/24

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी 2024

विषय- जलपद सोनभद्र के अन्तर्गत ओबरा वन प्रभाग में पी०एम०जी०एस०वाई० द्वारा स्थीकृत पैकेज संख्या-
य०पी० 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई धाया खेदन्था चकारी ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित
15.567 हैं। आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव संख्या-एफपी/य०पी/रोड/117639/2021)

महोदय,

उपर्युक्त विवरण अपने प्रबंक-1758/11-सी-एफपी/य०पी/रोड/117639/2021 दिनांक 16.01.2024 का
कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

- 2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि क्या प्रस्ताव यह पूर्ण परीक्षण कर लिया गया है ?
34 वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है। प्रकरण का उथ्यात्मक परीक्षण करते हुए सुकृतसंगत प्रस्ताव प्रस्तुत
शासल को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by दिनेश

कुमार सिंह

Date: 24-01-2024 18:43:16

Reason: Approved (दिनेश कुमार सिंह)

अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1764 / 11-सी- FPI/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 29, 2024

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण
कर बांधित सूचना/आख्या आज ही ऑनलाइन अपलोड कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण
कर बांधित सूचना/आख्या आज ही ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिकारी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि�०वि०, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित।

E.R.S

प्रधान 29/01/2024

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी

उ०प्र०, लखनऊ।

अग्रसेत

(प्रशासनिक कार्यालय
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र) Page No. 1601

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर